GOVT. OF BIHAR

BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION BOARD

I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, Patna-14.

UNDER GRADUATE MEDICAL ADMISSION COUNSELLING (UGMAC)-2019 for MBBS / BDS / B.V.Sc. & A.H. in Govt. Medical / Dental / Bihar Veterinaty Colleges and Private Medical / Dental Colleges of Bihar

Adv. No.- BCECEB(UGMAC)-2019/15 Dated 04.08.2019

आवश्यक सूचना

UGMAC-2019 के आधार पर नामांकन हेतु सभी संस्थानों का Fee Structure पर्षद के Website:www.bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का सीट आवंटन जिस संस्थान में हुआ है, उनमें से सरकारी संस्थानों के लिए नामांकन की निर्धारित राशि Online भी जमा कर सकते हैं। निजी संस्थानों के लिए निम्न व्यवस्था की गयी है;

1. वैसे अभ्यर्थी जिनका सीट आवंटन निजी मेडिकल संस्थान में हुआ है और वे Upgrade का Option नहीं देना चाहते हैं तथा नामांकन लेना चाहते हैं, वे उस संस्थान के लिए निर्धारित Fee की राशि का बैंक ड्राफ्ट संस्थान के Fee Structure में अंकित सूचना अनुसार संस्थान के नाम से बनवा कर जमा करेंगे अन्यथा उनका नामांकन रद्द हो जायेगा और वे अगले Round की Counselling के लिए eligible नहीं होंगे।
2. वैसे अभ्यर्थी जिन्हें सीट आवंटन हुआ है और वे Upgradation का Option देना चाहते हैं, तो वे Controller of Examination, BCECE Board, Payable at Patna के नाम से 2,00,000/- (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करेंगे। द्वितीय Round के Upgradation उपरांत आवंटित संस्थान में या Upgradation नहीं होने की स्थिति में एवं आवंटित संस्थान में उन्हें नामांकन लेना होगा, अन्यथा जमा की गयी 2,00,000/- (दो लाख) रुपये की उक्त राशि नियमानुसार जब्त हो जायेगी । यदि वे नामांकन लेते हैं तो उक्त राशि सम्बन्धित संस्थान को स्थानांतरित कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी उक्त संस्थान का निर्धारित शुल्क की अंतर राशि का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित संस्थान के नाम से बनवा कर लायेंगे, क्योंकि नामांकन निर्धारित तिथि को ही लेना होगा।
3. निजी Dental संस्थानों के लिए यह राशि 50,000/- (पचास हजार) रुपये होगी और नामांकन नहीं लेने पर पर्षद द्वारा उक्त 50,000/- (पचास हजार) रुपये की राशि जब्त कर ली जायेगी। नामांकन लेने की स्थिति में अभ्यर्थी सम्बन्धित संस्थान का शुल्क पर्षद के वेबसाईट से देखकर अन्तर राशि का बैंक ड्राफ्ट बना कर लायेंगे, क्योंकि नामांकन निर्धारित तिथि को ही लेना होगा ।
4. यदि किसी अभ्यर्थी को 1st Round में किसी भी सरकारी / निजी संस्थान में सीट आवंटन होता है और वे Document Verification / नामांकन की निर्धारित अवधि में Report नहीं करते हैं, अर्थात् Document Verification नहीं कराते हैं तो वे आगे के Round के लिए eligible नहीं रह जायेंगे, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

परीक्षा नियंत्रक